HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
Gauradevi Paryavaran Bhawan
46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 12.09.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of O.A. No. 578 of 2022 titled as "Ram Singh Versus State of Uttarakhand.

INDEX

Sr. No.	Description of Documents	Page No(s)
1.	Factual and Action Taken Report	1 - 4
2.	**ANNEXURE-1**: Inspection Report of Joint Committee along with Annexure- 1 to 6.	5 – 55
3.	**ANNEXURE-2**: Copies of letters dated 21.11.2022 & 22.12.2022 sent to Managing Director, Kumaon Mandal Vikas Niagm, Nainital.	56 - 57

Date: 28.12.2022
Place: Dehradun

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT

Original Application No. 578 of 2022

In the matter of:

Ram Singh .... Applicant

Versus

State of Uttarakhand .... Respondent

I. BACKGROUND:

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 578 of 2022, Ram Singh Versus State of Uttarakhand issued following directions on 12.09.2022:

   "3. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representative of Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Uttarakhand, State PCB and District Magistrate, Pithoragarh and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and submit its report within one month. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance."

2. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 12.09.2022, the Joint Committee visited sites of proposed site on 18.10.2022. Following officials were part of the Joint Committee:

   i) Shri Jeevan Mohan Dagade, Divisional Forest Officer, Pithoragarh.
   ii) Dr. D.K. Joshi, Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Haldwani (Nainital).

iii) Shri Uday Singh Bhandari, Revenue Sub-Inspector, Dugtu, Tehsil Dharchula, Distt. Pithoragarh.

Shri Ram Singh, applicant in the matter, and following official were also present during the inspection:

i) Shri Sunil Kumar, Forest Range Officer, Pithoragarh.
ii) Shri Shubhan Gusian, Junior Engineer, UKPCB, Regional Office, Haldwani.
iii) Shri B.S. Bisht, Representative of Kumaon Mandal Vikas Nigam.
iv) Shri Ganesh Singh, Operator of 05 FRP/Tourist Huts.
v) Shri Jitendra Singh, Sarpanch, Vill. Dugtu, Tehsil Dharchula, Distt. Pithoragarh.

II. FACTUAL REPORT:

The Joint Inspection Report along with Annexure 1 - 6 of a Joint Committee is enclosed as **ANNEXURE-1**.

Based on the observations of the Joint Committee, it is to state that the District Magistrate, Pithoragarh has accorded permission for transfer of land bearing Khet No. 2630 (Area-0.100 hectare), village Dugtu, Patti Dugtu, Tehsil Dharchula, District Pithoragarh to Tourism Department for establishment of FRP huts and Divisional Forest Officer, Pithoragarh also issued NOC for the same.

As per inspection report, said temporary 05 FRP huts are located about 3-4 Km. far from the land area transferred by the District Magistrate, Pithoragarh for the said purposes. Septic tank/soak pit have been made for disposal of liquid waste and waste collection bags have been placed on the way for collection of solid waste.

So far as forest fire is concerned, the forest department stated that incidences of forest fire may be done by unidentified tourist, unintentionally.

III. ACTION TAKEN BY UKPCB:

Based on the observations of the Joint Committee, Uttarakhand Pollution Control Board has forwarded the Joint Committee Report along with Annexures to the Managing Director, Kumaon Mandal Vikas Nigam Ltd., Nainital for necessary action and submission of action taken report before the Hon'ble NGT, vide letter dated 21.11.2022 and 22.12.2022. Copies of letters are enclosed as **ANNEXURE-1**. Copies of letters along with Joint Committee Report were also forwarded to Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Department of Forest, Uttarakhand and District Magistrate, Pithoragarh for necessary action and submission of action taken report before the Hon'ble NGT.

****

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 578/2022 राम सिंह बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 के अनुपालन में गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

पृष्ठभूमिः—

भारत के उत्तराखण्ड़ राज्य के पर्वतीय सीमांत जिला—पिथौरागढ़ की तहसील—धारचूला के अन्तर्गत दारमा घाटी में दुग्तू—सोन ग्राम स्थित है। उक्त क्षेत्र में मुख्यतः रागा (Abies pindrow), जूनिफर, भोजपत्र, कैल आदि के वृक्ष पाये जाते है। गांव के पश्चिम की ओर पंचाचूली की पहाडियॉ है। दुग्तू गांव पहाड़ी, नदियों, झरनों और जंगलो का एक आकर्षण संयोजन है। ग्राम वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि है।

(Google Map of Dugtu Village and Panchuachuli Base Camp)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा श्री राम सिंह के शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए दिंनाक 12.09.2022 के निम्न आदेश पारित किये।

Prima Facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider, it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committtee Compresing of representative of Principal chief Conservator of Forest (HoFF,) Government of Uttarakhand, State PCB and district Magistrate, Pithoragarh and direct the same to

meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the application, associate the applicaant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and submit its report within one month. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

List for further consideration on 21-11-2022.

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पारित आदेशों की प्रति संलग्न है (संलग्नक–01)

उक्त पारित आदेशों के अनुपालन में तथा सदस्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या– यूकेपीसीबी/एचओ/सा–183–620/2022/1069 दिनांक 28.09.2022 के द्वारा आदेशित विभागों के निम्न नामित सदस्यों के द्वारा दिनांक 18.10.2022 स्थलीय संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया।

1. श्री जीवन मोहन दगाड़े, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़।
2. डा0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी।
3. श्री उदय सिंह भण्डारी,राजस्व उपनिरीक्षक, दुग्तू, तहसील– धारचूला, पिथौरागढ़।

संयुक्त निरीक्षण के समय शिकातकर्ता श्री राम सिंह उपस्थित रहें। इसके अतिरिक्त निम्न अधिकारी/कार्मिकं भी संयुक्त निरीक्षण में सम्मिलित रहे।

1. श्री सुनील कुमार, वन क्षेत्राधिकारी, पिथौरागढ़।
2. श्री शुभम गुसाई, अवर अभियन्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी।
3. श्री बी0एस0 बिष्ट, प्रतिनिधि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम।
4. श्री गणेश सिंह (05 एफ0आर0पी0) पर्यटक झोपड़ियॉ/हट के संचालक।
5. श्री जितेन्द्र, सरपंच, ग्राम–दुग्तू, तहसील– धारचूला, जिला–पिथौरागढ़।

संदर्भित शिकायती स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. संयुक्त निरीक्षण के दौरान संदर्भित स्थल पर Fibre Rainforced Plastic द्वारा निर्मित05 एफ0आर0पी0 झोपड़ियॉ स्थापित पाई गयी। जिनमें से 01 एफ0आर0पी0 झोपडी में किचन है, तथा स्थल पर उक्त के साथ 02 शौचालय भी स्थापित पायें गये। उक्त एफ0आर0पी0 झोपड़ियॉ अस्थाई संरचना है, जिनसे न्योला ग्लेशियर की दूरी लगभग 03 कि0मी0 है। इसके अतिरिक्त घरेलू अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट तथा ठोस अपशिष्ट के एकत्रण हेतु रास्ते में जगह–जगह पर वेस्ट कलेक्शन बैग रखे पाये गये। कु0मं0वि0नि0 अथवा एफ0आर0पी0 पर्यटक झोपड़ियॉ/हट के संचालक द्वारा राज्य बोर्ड से इकाई की स्थापना/संचालन हेतु जल वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

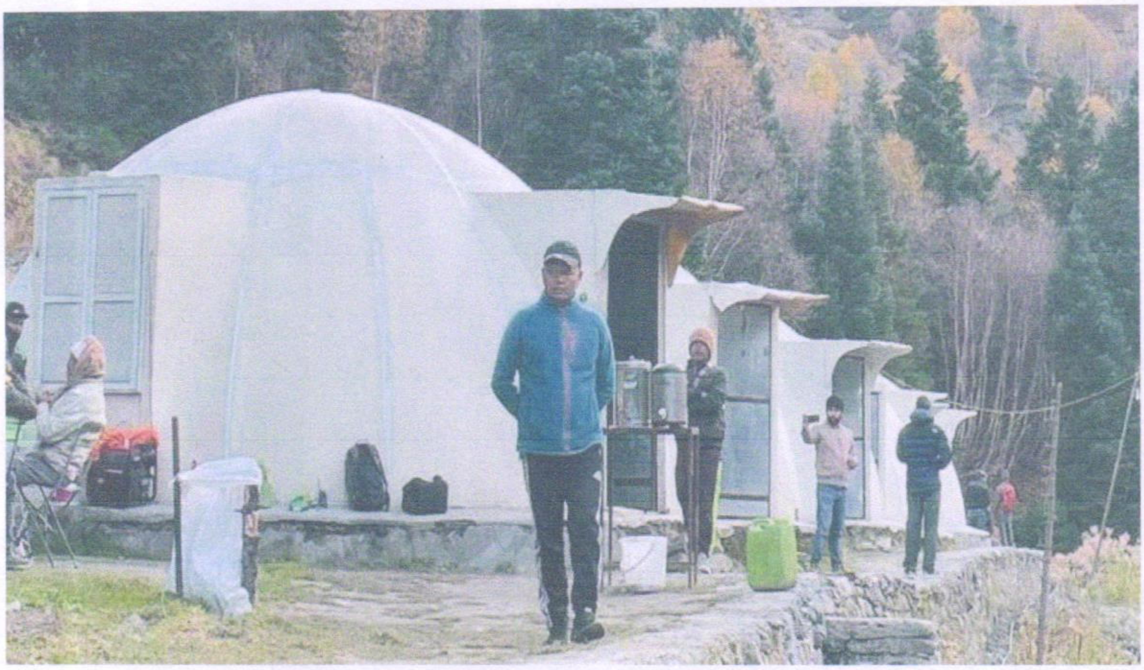

05 No's FRP HutsPanchachuli Base Camp)

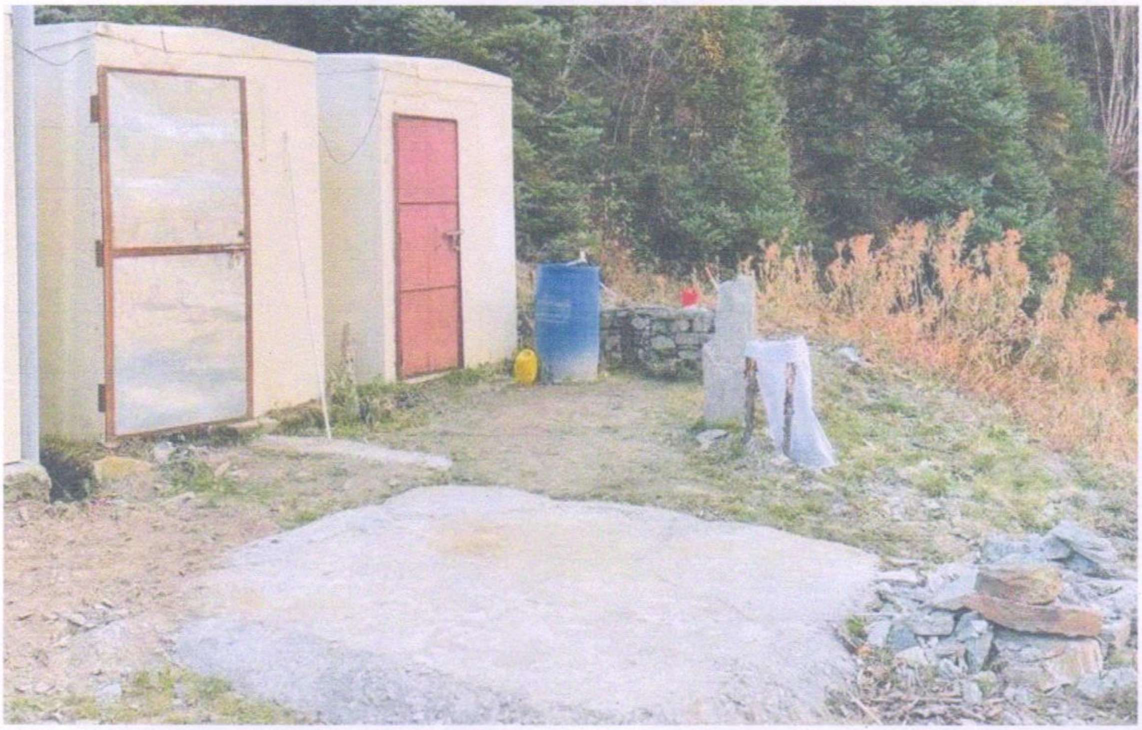

02 No's Toilet & Spetic Tank/Soak pit at FRP Huts(Panchachuli Base Camp)

Solid Waste Collection Bag Near FRP Huts (Panchachuli Base Camp)

2. 05 एफ0आर0पी0 झोपडियों की स्थापना के संबंध में कु0मं0वि0नि0 प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 15.07.2015 तथा कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ के पत्र संख्या 1738/सात– 86/2014 –15 दिनांक 15.09.2015 द्वारा एफ0आर0पी0 झोपड़ियों की स्थापना हेतु ग्राम–दुग्तू, पट्टी दुग्तू के गैर जमीदारी विनाश खाता संख्या–59, श्रेणी–09 (3) ड बंजर काबिल आबाद के खेत नं0 2630 मध्ये 0.100 है0 राज्य भूमि को पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड़ शासन को हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्र दिनांक 03.02.2016 द्वारा एफ0आर0पी0 झोपड़ियों की स्थापना हेतु अनापत्ति भी प्राप्त की गयी है। (संलग्नक 02)

3. अग्रेतर प्रबंधक निदेशक कु0मं0वि0नि0 के मौखिक आदेशों के अनुक्रम में पर्यटन विकास अधिकारी कु0मं0वि0नि0 द्वारा श्री गणेश सिंह दुग्ताल पुत्र श्री ईश्वर सिंह दुग्ताल ग्राम–दुग्तू पो0ओ0 सोन जिला–पिथौरागढ़ के साथ दिनांक 27.07.2017 को अनुबंध कर उक्त 05 एफ0आर0पी0 झोपड़ियों की देखरेख व सुरक्षा एवं संचालन की जिम्मेदारीश्री गणेश सिंह को प्रदान की गयी है। जिसके पश्चात् पुनःपर्यटन विभाग द्वारानिविदा प्रकिया में श्री गणेश सिंह ग्राम– उमचिया, पो0ओ0–तिजम, धारचूला, पिथौरागढ़ की दरें उच्च पायी जाने पर 05 एफ0आर0पी0 झोपड़ियों के व्यवसायिक संचालन हेतु दिनांक 07.01.2021 कोरू0 175000.00/– वार्षिकमें सात वर्ष हेतु किराये पर दिये जाने का अनुबंध किया गया। (संलगनक 03)

4. श्री राम सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि 05 एफ0आर0पी0 की झोपड़ियों की स्थापना उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ तथा प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, पिथौरागढ के द्वारा स्वीकृत स्थल पर नहीं की गयी है,अपितु स्वीकृत स्थल से 3–4 कि0मी0 दूरी पर की गयी है। इस संबंध में राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ के पत्रदिनांक 15.09.2015 के द्वारा 05

एफ0आर0पी0 हट्स की स्थापना हेतु ग्राम–दुग्तू, पट्टी दुग्तू के गैर जमीदारी विनाश खाता संख्या–59, श्रेणी–09 (3) ड बंजर काबिल आबाद के खेत नं0 2630 मध्ये 0.100 है0 भूमि प्रतिबंधो के अधीन पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष संबंधित विभाग द्वारा एफ0आर0पी0 हट्स आवंटित भूमि में न बनाकर आवंटित भूमि से लगभग 04 कि0मी0 की दूरी पर बनाया गया है तथा संबंधित विभाग (पर्यटन विभाग) द्वारा पूर्णतः पट्टें शर्तो का उल्लंघन किया गया है। (संलग्नक 04)

5. श्री राम सिंह द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वन क्षेत्र में आग लगने से लगभग 07 है0 भूमि में भोज पत्र, बुरांस तथा देवदार के 50,000 से अधिक वृक्ष जले पाये गये है। निरीक्षण के दौरान श्री राम सिंह द्वारा इंगित स्थल पर कई वृक्षों के जले खूंट पाये गये। (फोटोग्राफ संलग्न) उक्त संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आग लगने की घटना जून 2019 में पंचाचूली बेस कैम्प से 100 मीटर दूरी पर घटित हुई है। आग से भोज पत्र, कैल के वृक्ष झुलसे हुये पाये गये। आग से लगभग 0.75 है0 क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। वन विभाग के अनुसार जुनिफर की झाडियाँ एवं सूखी घास फूस के कारण आग फैल गयी। आग लगने की घटना किसी अज्ञात पर्यटक द्वारा गैरइरादन नासमझी के कारण होने की आशंका व्यक्त की गयी है। (संलग्नक 05)

Arson Area near FRP Huts (Panchachuli Base Camp)

Burned Tree near FRP Huts (Panchachuli Base Camp)

6. श्री राम सिंह द्वारा अपने शिकायती पत्र में उल्लेखित किया है कि उक्त 05 एफ0आर0पी0 झोपडियों (पंचाचूली बेस कैम्प) में वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक में 50,000 से अधिक प्रति वर्ष तथा माह मई से अक्टूबर तक सप्ताहांत (शनिवार, रविवार) में 50 से अधिक पर्यटक आते है। इस संबंध में कु0मं0वि0नि0 द्वारा उक्त वर्षो में पर्यटकों की संख्या संबंधित प्रमाणित दस्तावेज समिति को उपलब्ध करायें गये, जिनके अनुसार वर्ष 2020–21 में पर्यटकों की संख्या 14 (आपदा के कारण संचालन के कुल दिन–06) तथा वर्ष 2022 में अप्रैल माह से अक्टूबर 2022 तक 458 पर्यटक पंचाचूली बेस कैम्प में आयें। अतः पंचाचूली बेस कैम्प में वर्ष 2021–22 से अक्टूबर 2022 तक कुल 472 पर्यटक आयें। (संलग्नक 06)

संस्तुतिः–

1. शिकायती स्थल 05 एफ0आर0पी0 झोपडियों (पंचाचूली बेस कैम्प) दारमा घाटी में पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में स्थित है। उक्त स्थल पक्के सडक मार्ग से दूर है, जिस कारण यहा बेहतर संचार सुविधायें 24 घण्टे उपलब्ध नहीं है तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना/आकस्मिकता/आगजनी होने पर तुरन्त राहत पहुंचा पाना संभव नहीं है। इस हेतु जिला प्रशासन व संबंधित विभागों में समन्वय होना आवश्यक प्रतीत होता है।

2. 05 एफ0आर0पी0 झोपडियों को वर्तमान स्थान से विस्थापित कर उत्तराखण्ड शासन तथा जिलाधिकारी से स्वीकृत भूमि (ग्राम–दुग्तू, पट्टी दुग्तू के गैर जमीदारी विनाश खाता संख्या–59, श्रेणी–09 (3) ड बंजर काबिल आबाद के खेत नं0 2630 मध्ये 0.100 है0) में स्थानान्तरित कर पर्यटन विभाग/कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को समस्त संबंधित विभागों से अनुमति प्राप्त कर संचालन करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा

3. दारमा घाटी के प्रवेश द्वार पर फॉरेस्ट की चौकी की स्थापना किया जाना आवश्यक है, जिसके द्वारा पर्यटको की आवाजाही पर निगरानी रखने तथा उनकी संख्या को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।

4. सीमांत/दूरस्त क्षेत्र होने के कारण गॉवों से पलायन रोकने के लिए स्थानीय लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु उचित स्थलों पर होम स्टे, साहसिक कार्यो में प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा सकता है।

(श्री जीवन मोहन दगाड़े)	(डा0 डी0के0 जोशी)	(दिवेश शाशनी) 11/11/22	(श्री उदय सिंह भण्डारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,	क्षेत्रीय अधिकारी	उप जिलाधिकारी,	राजस्व उपनिरीक्षक दुग्तू तहसील
पिथौरागढ	यू0के0पी0सी0बी0 हल्द्वानी	धारचूला	धारचूला, पिथौरागढ

Item No.5 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH

(By Video Conferencing)
Original Application No. 578/2022

Ram Singh ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand ...Respondent

Date of hearing: 12.09.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None.

Application is registered based on a Letter Petition received by Post.

ORDER

1. Mr. Ram Singh resident of Village Dugtu-Saun, Post Office Dugtu, Tehsil, Dharchula, District Pithoragarh, Uttarakhand has sent the present letter petition, which is registered and treated as original application, complaining that 5 FRO tourist huts have been installed during 2016 and 2017 in the mid of alpine area at the altitude of more than 12000 feet in Panchachuli mountains. Government Land comprised in Khasra no. 2630, 0.100 hectare situated in Village Dugtu was allotted by the District Magistrate, Pithoragarh to Tourism Department of Uttarakhand. In the Year 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 more than fifty thousand tourists visited per year and on the weekends there were more than 50 tourists each day during May, June, September and October months and even extra tents were provided near the huts. The activities of the tourists in the area have affected the wildlife and biodiversity as musk deers which used to graze in the area no longer appear there. During May 2018, more than fifty thousand trees of Bhoj Patra and thousands of high altitude Rhododendrons, Himalayan Devdar and several type of underbrush have been burnt. Directions were given by the High Court of Uttarakhand to the Chief

Conservator of Forests, Uttarakhand and all DFOs but the directions are not being complied with.

2. This Tribunal is empowered to *suo moto* take cognizance of the cases involving questions relating to environment arising out of the implementation of enactments specified in First Schedule of the National Green Tribunal Act, 2010 as held by Hon'ble Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai V/s. Ankita Sinha and others 2021 SSC Online SC 897.*** This Tribunal can also take cognizance of such cases on the basis of letter petitions in accordance with settled principles of law governing Public Interest Litigation.

3. *Prima facie*, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representative of Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Uttarakhand, State PCB and District Magistrate, Pithoragarh and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and submit its report within one month. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. In case the Joint Committee observes any violation of consent conditions/environmental norms then it shall forward a copy of its report to:-

(i) the concerned Project Proponents to enable them to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file

objections against the observations/recommendations in the report of the Joint Committee and also file their response before this Tribunal as desired within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee; and

(ii) the Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Uttarakhand, State PCB and District Magistrate, Pithoragarh to enable them to take appropriate remedial action by giving notice to/hearing the concerned project proponents and following due process of law in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/degradation and for protection and improvement of environment and submit their action taken report within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee.

5. Reports/Objections/reply/Response may be filed within stipulated period as directed above by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 21.11.2022.

7. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Uttarakhand, State PCB and District Magistrate, Pithoragarh by e-mail for compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr.Afroz Ahmad, EM

September 12, 2022
AG

क्र० निर्देशानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन स० 278/2022 मे पारित आदेश दि० 12.09.2022 के अनुपालन मे दि० 18.10.2022 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण शिकायतकर्ता श्री रामसिंह तथा KMVN के प्रतिनिधि श्री धन सिंह बिष्ट की उपस्थिति मे किया गया है। निरीक्षण के दौरान निम्न अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

1. [signature] DFO Pithoragarh.

2

3 Dr DK Joshi [signature] 18/10 R.O P.C.B

4- Ram Singh RAM SINGH Saun Dugtu Darma. 18/10

5- Bhandari RSI Dugtu DCA

6. D.S. Bisht - K.M.V.N [signature]

7 Jitendra सरपंच दुग्तू

(8) Narendra [signature]

संलग्नक - 02 (15) 16

आदेश.

राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–1887/XVIII (II)/2015–18(169)/2015 दिनांक 30.07.2015 एवं वित्त (वे.आ.–सा.नि.) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–111/XXVIII(7)50(39)–15/2015 दिनांक 09.07.2015 में निहित प्राविधानों के आधार पर जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला में एफ.आर.पी. हट्स दुग्तू की स्थापना हेतु ग्राम दुग्तू, पट्टी दुग्तू के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–59, श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 2630 मध्ये 0.100 है0 राज्य भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों तथा पर्यटन विभाग की सहमति क्रम में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधान लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमनय होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. प्रश्नगत नॉन जेड.ए. भूमि आवंटन के पूर्व जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस.एल.पी.)/सी संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या–436/2011@SLP (C) N0.20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिशचित किया जायेगा।
10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो के बिन्दु संख्या–01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

अतः उक्तनुसार स्वीकृत भूमि का सीमाकन कर याचक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामांन्तरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

दिनांक सितम्बर 15, 2015

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या–1739/सात–86/2014–15 दिनांक सितम्बर 15, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप जिलाधिकारी धारचूला।
2. महाप्रबन्धक, कुमॉऊ मण्डल विकास निगम नैनीताल।
3. जिला पर्यटन अधिकारी पिथौरागढ़।
4. तहसीलदार धारचूला को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कर प्रस्तावक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं **नामान्तरण उपरान्त अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें**, खसरे की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

विभाग VII
पत्रावली संख्या 86
वर्ष 2014-15
क्रमांक 2
पंजिका संख्या 11052
दिनांक 15/9/2015

Scanned with OKEN Scanner

'उत्तराखण्ड वन सदैव आपके संग'

18

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

e-mail dfopith-forest-uk@nic.in , दूरभाष / फैक्स नं0– ☎ (05964) 225234

पत्रांक 2151 / 12-1 दिनांक, 3 फरवरी, 2016, पिथौरागढ़।

सेवा में,

कार्यक्रम प्रबन्धक
परियोजना कियान्वयन यूनिट, पर्यटन (कुमाँऊ)
उत्तराखण्ड आपदा सहायतित परियोजना,
ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल।

विषयः– **तहसील धारचूला एवं मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़ में एफ0आर0पी0 हट्स की स्थापना के संबंध में।**

संदर्भः– आपकी पत्रसं0 3994 / पीआईयू(केएमवीएन) / 2014–15 दिनांक 19–09–2015 ।

महोदय,

संदर्भित पत्र अनुसार आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि धारचूला तहसील के कैलाश यात्रा मार्ग के पड़ाव जिनमें निगम के कैम्प संचालित किये जाते है, के ग्राम नारायण आश्रम, बेदांग और दुग्तु में एफ0आर0पी0 हट्स की स्थापना की जानी है। इस क्रम में सूचित किया जाता है कि उक्त क्षेत्र आरक्षित वन अर्न्तगत नहीं आते हैं। अतः एफ0आर0पी0 हट्स की स्थापना हेतु प्रभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्या– / दिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाअधिकारी,पिथौरागढ़ को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

LETTER

(संलग्नक-02)

संख्या-   /XVIII(II)/2015-18(139)/201

प्रेषक,

जे०पी० जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग-2   देहरादून: दिनांक: 15 जुलाई, 2015

विषयः—जनपद पिथौरागढ़ में एन०आर०पी० हट्स की स्थापना हेतु कुल 1.28 है० भूमि पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-1141/सात-67/2014-15, सं०-1142/सात-68/2014-15, सं०-1143/सात-69/2014-15, सं०-1144/सात-70/2014-15, सं०-1145/सात-71/2014-15, सं०-1146/सात-72/2014-15, सं०-1147/सात-73/2014-15, सं०-1148/सात-74/2014-15, सं०-1150/सात-76/2014-15, दि०-15.06.2015 तथा पत्र सं०-1158/सात-77/2014-15, सं०-1159/सात-78/2014-15, सं०-1160/सात-79/2014-15, सं०-1161/सात-80/2014-15 दि०-18.06.2015 के संदर्भ में क्रमशः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला एवं मुनस्यारी के ग्राम बूंदी के नॉन जेड०ए०ख०खा० सं०-49 के खेत सं०-328 मध्ये रकबा 0.100 है०, ग्राम गुंजी के नॉन जेड०ए०ख०खा० सं०-39 के खेत सं०-2666 मध्ये रकबा 0.200 है०, ग्राम बूंदी के नॉन जेड०ए०ख०खा० सं०-49 के खेत सं०-3030 मध्ये रकबा 0.040 है०, ग्राम बालिंग के नॉन जेड०ए०ख०खा० सं०-25 के खेत सं०-673 मध्ये रकबा 0.060 है०, ग्राम सीपू के नॉन जेड०ए० ख०खा० सं०-05 के खेत सं०-211 मध्ये रकबा 0.100 है०, ग्राम गर्तोली के नॉन जेड०ए०ख०खा० सं०-02 के खेत सं०-614 मध्ये रकबा 0.100 है०, ग्राम गनघर के नॉन जेड०ए०ख०खा० सं०-02 के खेत सं०-87 रकबा 0.023 है०, खेत सं०-88 रकबा 0.018 है०, खेत सं०-89 रकबा 0.013 है०, खेत सं०-90 रकबा 0.061 है० कुल 04 खेतों की 0.115 है०, ग्राम बुर्फू के नॉन जेड०ए० ख०खा० सं०-02 के खेत सं०-49 मध्ये रकबा 0.065 है०, ग्राम रालम के नॉन जेड०ए०ख०खा० सं०-25 के खेत सं०-277 मध्ये रकबा 0.100 है०, ग्राम कुटी के नॉन जेड०ए० ख०खा० सं०-40 के खेत सं० 99 मध्ये रकबा 0.100 है०, ग्राम गर्ब्यांग के नॉन जेड०ए० ख०खा० सं०-52 के खेत सं०-09 मध्ये रकबा 0.100 है०, ग्राम गर्ब्यांग के नॉन जेड०ए० ख०खा० सं०-52 के खेत सं०-462 मध्ये रकबा 0.140 है० ग्राम गालागाड के नॉन जेड०ए० ख०खा० सं०-31 के खेत सं०-1258 मध्ये रकबा 0.080 है० इस प्रकार कुल 1.28 है० श्रेणी-9(3)ङ बंजर काबिल आबाद भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश सं०-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दि० 15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन तथा पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड शासन के विभागीय परामर्श/सहमति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्त्व की इमारत न हो।

2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना है और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्ष तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/201 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0- 436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0--जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या–01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

पृ0प0संख्या–/690/समाशि/ना0वि0/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव।

(संलग्नक-03)

अनुबन्ध पत्र

पंचाचूली बेस कैम्प ट्रैकिंग मार्ग पर दुग्तू में एन०डी०पी० द्वारा निर्मित F R P 5 HUT मता कूट पर संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी के सन्दर्भ मे -

श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के धारचूला भ्रमण पर आज दिनांक 27/07/2017 को दिए गये मौखिक आदेशानुसार श्री गणेश सिंह दुग्ताल पुत्र दिवार सिंह दुग्ताल ग्राम - दुग्तू पो० ओ० सोन, तहसील धारचूला को निम्न शर्तों के अनुसार सौंपी जाती है -

NOTARY ★ GOVT. OF U.K.

(1) हट के रखरखाव सुरक्षा की जिम्मेदारी आप गणेश सिंह दुग्ताल की होगी,

(2) हट में स्थित सम्पूर्ण सामग्री की सूची आपको अलग से दी जा रही है, उसे भी आप सुरक्षित रखेंगे।

(3) हट आपको सुपुर्द करते समय यह सुनिश्चित कर ले, कि हट में जमीन का लेवल व मिलोमियम ठीक तरह से लगी हो,

(4) हट के अन्दर अपैक्स पेन्ट ठीक तरह से लगी हो। हट में सिलीकोम दोनो तरफ लगी हो, उपरोक्त कार्य की जांच कर यह सुनिश्चित कर ले की ठेकेदार द्वारा हट के हस्तान्तरण के समय सम्पूर्ण कार्य ठीक कर दी जाए,

(5) प्रत्येक हट में सामग्री की सूची लगायेंगे, जिससे सामग्री पूर्ण है, पता चल सके,

(6) इन हट की देख रेख सुरक्षा एवं रखरखाव के एवज मे अन्य दिनो मे ठहरने वाले यात्रियो से होने वाली आय आप गणेश सिंह दुग्ताल की होगी, जब कुमाऊ मण्डल विकास निगम के पंचाचूली बेस कैम्प ट्रैकिंग टूर आयेंगे, उस समय यह हट ठीक स्थिति मे आप निगम को उपलब्ध करायेंगे, जिसकी सूचना आपको आधार शिविर पर - प० आ० गृ० धारचूला द्वारा दी जायेगी,

(7) इन हट्स के रख रखाव की जितना अधिक जिम्मेदारी से आपके द्वारा की जायेगी, उतना ही लाभ आपको एवं निगम और यात्रियो को होगी,

उपरोक्त समझौता कु० मण्डल विकास निगम के प्र० निदेशक महोदय के दिये गये मौखिक आदेश के अनुसार यात्राधिकारी कैलाश मा० यात्रा 2017 और श्री गणेश सिंह दुग्ताल के बीच श्री दिवान सिंह बिष्ट प्रबन्धक प० आ० गृ० धारचूला के मध्य आज दि० 27/7/2017 को अनुबन्ध हुआ है,

ATTESTED
27/7/2017
TIKA SINGH GUNJYAL
ADVOCATE/NOTARY PUBLIC
DHARCHULA
DISTT. PITHORAGARH

(सं० ... चन्दोला) (दिवान सिंह) गणेश सिंह
यात्राधिकारी प्रबन्धक पता ... प्रबन्धक ... दुग्तू पता

टीपें और आज्ञायें

प्रबन्ध निदेशक

महोदय, दिनांक 30.10.2020 के दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में पंचाचूली बेस कैम्प धारचूला को 07 वर्ष हेतु व्यावसायिक संचालन के लिये निविदा सूचना प्रकाशित की गयी । निविदा आमंत्रित करने की तिथि व निविदायें खोले जाने की तिथि दिनांक 5.12.2020 निर्धारित की गयी । महाप्रबन्धक (पर्यटन) की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा दिनांक 5.12.2020 को 2.00 बजे निविदा खोली गयी, जिसमे 03 निविदाताओ द्वारा निविदा प्रेषित की गयी । 03 निविदादाताओं की निविदा के वित्तीय भाग को खोला गया जिनकी दरो का विवरण निम्न प्रकार है –

क्र0 सं0	निविदादाता का नाम व पता	धरोहर राशि का विवरण	निविदादाता द्वारा दी गयी वार्षिक धनराशि
1	श्री गणेश सिंह, ग्रम उमचिया, पो0ओ0 तिजम, धारूचला पिथौरागढ़	रू0 25,000.00 पंजाब नेशनल बैंक **F.D.R. 3ZP001828** दिनाक 2.12.2020	रू0 1,75,000.00 + जी0एस0टी0
2	श्री रितेश सिंह, नागलिंग, धारूचला पिथौरागढ़	रू0 25,000.00 पंजाब नेशनल बैंक F.D.R. 3ZP001439 दिनाक 2.12.2020	रू0 1,70,000.00 + जी0एस0टी0
3	श्री राकेश सिंह, 67, पो0ओ0 नागलिंग, धारचूला पिथौरागढ़	रू0 25,000.00 एस0बी0आई0 ड्राफ्ट सं0 178201 दिनाक 4.12.2020	रू0 1,60,000.00 + जी0एस0टी0

समिति द्वारा खोली गयी निविदाओ में कम सं0 01 श्री गणेश सिंह, ग्रम उमचिया, पो0ओ0 **तिजम, धारूचला, पिथौरागढ़** की दरे उच्चतम पायी गयी है ।

अतः उच्चतम वार्षिक किराये की राशि रू0 1,75,000.00 + जी0एस0टी0 पर श्री गणेश **सिंह, ग्रम उमचिया, पो0ओ0 तिजम, धारूचला पिथौरागढ़** को व्यवसायिक संचालन पर दिये जाने की स्वीकृति व अनुबन्ध हेतु पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति प्रदान करना चाहें ।

7-12-20
(प्रेम सिंह)
पर्यटन कक्ष
सदस्य

7/12/20
(बीना कर्नाटक)
स0ग्रे0तृतीय
सदस्य

7/12/2020
(गिरधर सिंह मनराल)
प्र0 साहसिक
सदस्य

KS
7-12-20
(कैलाश सिंह बिष्ट)
मण्डलीय लेखाकार
सदस्य

7/12/2020
(लता बिष्ट)
प0वि0अ0
सदस्य

(सुन्दर लाल)
लेखाधिकारी
सदस्य

(अशोक जोशी)
महाप्रबन्धक(पर्यटन)
अध्यक्ष

approved as put up by committee

Scanned with CamScanner

लीला आर्या
मा० नं० 03/2013-2014
नैनीताल

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK04094685767308S
Certificate Issued Date	:	23-Dec-2020 02:05 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1290004/ NAINITAL/ UK-NT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK129000411554729739381S
Purchased by	:	K M V N Ltd NAINITAL
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	K M V N Ltd NAINITAL
Second Party	:	GANESH SINGH SON OF ISHWAR SINGH
Stamp Duty Paid By	:	K M V N Ltd NAINITAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

अनुबन्ध पत्र

ठेके का यह अनुबन्ध आज दिनांक 7-1-2021 को कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड,

Please write or type below this line

जो कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ओक पार्क हाउस, मल्लीताल, नैनीताल मे है तथा जो उत्तराखण्ड राज्य सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा इसके **पर्यटन विकास अधिकारी, नैनीताल** (जिसे एतद् पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है) एक ओर तथा **श्री गणेश सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्रम– उमचिया, पो0ऑ0 तेजम, धारचूला, जिला पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)** (जिन्हे सम्मिलित रूप से एतद् पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है) दूसरी ओर, के मध्य निष्पादित किया जाता है

चूँकि प्रथम पक्ष दारमा धाटी स्थित निगम के बालिंग, पंचाचूली, बेस कैम्प तथा बेदांग मे स्थापित हटो का स्वामी है और द्वितीय पक्ष ने इस हटो को व्यावसायिक संचालन हेतु **07 वर्ष** के लिये किराये पर लेने का प्रस्ताव दिया है, जिसे प्रथम पक्ष द्वारा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकार कर लिया गया है ।

गणेश सिंह

Lata Bisht 7/1/2021

Anubandh (1)

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

अतः यह विलेख सांख्याकित करता है व पक्षकार एतद् द्वारा अनुबन्ध करते है –

1– यह कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को दारमा धाटी स्थित निगम के बालिंग, पंचाचूली, बेस कैम्प तथा बेदांग में स्थापित हट को व्यावसायिक संचालन हेतु **दिनॉक 1.1.2021 से 31.12.2026 तक 07 वर्ष** के लिये उपलब्ध कराया जाता है । दारमा धाटी स्थित निगम के बालिंग, पंचाचूली, बेस कैम्प तथा बेदांग में **स्थापित हट की किरायेदारी दिनांक 1.1.2021 से प्रारम्भ होगी । दारमा धाटी स्थित निगम के बालिंग, पंचाचूली, बेस कैम्प तथा बेदांग में स्थापित हट का वार्षिक किराया रू0 1,75,000.00 (एक पिच्हत्तर हजार रूपये मात्र) + जी0एस0टी0** अतिरिक्त होगा ।

2– यह कि किराये का भुगतान 6 माह का अग्रिम जमा किया जाना होगा ।

3– किराये की राशि मे 03 वर्ष पश्चात 10 प्रतिशत की वृद्वि की जायेगी ।

4– यह कि किराये की राशि पर जी0एस0टी अतिरिक्त देय होगा ।

5– यह कि द्वितीय पक्ष को जमानत के रूप में 6 माह के किराये की राशि के बराबर धनराशि नकद/ एफ0डी0आर के रूप मे जमा करनी होगी ।

6– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दारमा धाटी स्थित निगम के बालिंग, पंचाचूली, बेस कैम्प तथा बेदांग में स्थापित हटो में उपयोगित बिजली/पानी तथा नगर पालिका द्वारा निर्धारित हाऊस टैक्स/सीवेज टैक्स/पर्यावरण टैक्स व रख रखाव सम्बन्धी अन्य व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा । बिजली हेतु मीटर संचालनकर्ता द्वारा स्वयं लगाया जायेगा । विधुत बिल का भुगतान द्वितीय पक्ष को करना होगा ।

7– यह कि द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करे की एन0जी0टी0 के दिशा निर्देशो के अनुसार नियमो को पालन करे तथा पर्यावरण व इकाई को दूषित करने वाले अन्य गतिविधियों का कियान्वयन न किया जाय ।

8– यह कि प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि अनुबन्ध नवीनीकरण के समय किराये की राशि मे वृद्वि कर सकेगा ।

9– प्रति हट अथवा प्रति बैड प्रति व्यक्ति की दरे निर्धारित कर निगम को प्रेषित करेगे 1 यदि निर्धारित दर से धनराशि वसूली जायेगी तो अनुबन्ध का उल्लधंन माना जायेगा ।

10– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी दशा मे दारमा धाटी स्थित निगम के बालिंग, पंचाचूली, बेस कैम्प तथा बेदांग में स्थापित हटो की उप अध्यासन अनुमन्य नही होगी तथा हटो को सामुचित न करने, हटो को हानि पहॅुचाने तथा हटो मे परिवर्तन करने की दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि सम्पादित अनुबन्ध निरस्त कर हटो को तत्काल खाली करवा कर उसका कब्जा द्वितीय पक्ष से वापस ले लेगा ।

11– यह कि दारमा धाटी स्थित निगम के बालिंग, पंचाचूली, बेस कैम्प तथा बेदांग में स्थापित हटो का उपयोग/संचालन पर्यटन गतिविधियों मात्र आवास/भोजन के लिये मान्य होगी ।

12– यह कि किसी भी प्रकार के पत्राचार/सूचना प्राप्त करने हेतु प्रथम पक्ष से सम्पर्क करना होगा ।

13– यह कि दारमा धाटी स्थित निगम के बालिंग, पंचाचूली, बेस कैम्प तथा बेदांग में स्थापित हटो के आसपास नियमित रूप से द्वितीय पक्ष को सफाई आदि करनी आवश्यक होगी ।

गणेश सिंह

3/1/2021
विकास अधिकारी
मण्डल विकास निगम लि.

14– यह कि द्वितीय पक्ष की ओर देय किराये की राशि को राजस्व देय के रूप में वसूली करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा ।

15– यह कि द्वितीय पक्ष को यदि किसी प्रकार का कर, स्थानीय/प्रदेश स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर आरोपित किया जाता है तो उसका भुगतान द्वितीय पक्ष को करना होगा ।

16– भोजन की दरे निर्धारित कर सूचना प्रथम पक्ष को प्रेषित किया जाना होगा ।

17– द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त कैम्प/आवास गृह मे किसी भी प्रकार का अपना बैनर अथवा बोल्ड नही लगाया जायेगा । पंचाचूली बैस कैम्प, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम ही लिखा जायेगा ।

18– द्वितीय पक्ष द्वारा वर्तमान मे कैम्प की जो स्थिति है इसमे अतिरिक्त कोई निर्माण नही किया जायेगा । यदि आवश्यक होता है तो द्वितीय पक्ष निगम से पहले इसकी अनुमति/स्वीकृति प्राप्त कर अपने स्वयं के व्यय भार पर ही किया जायेगा । निगम इस प्रकार के व्यय भार की प्रतिपूर्ति द्वितीय पक्ष को नही करेगा न ही इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा कोई दावा किया जायेगा ।

19– विदेशी पर्यटको के आगमन की सूचना **सी फार्म आंन लाईन अथवा ऑफ लाईन** के माध्यम से निगटवर्ती पुलिस स्टेशन मे द्वितीय पक्ष द्वारा ही दी जायेगी किसी भी प्रकार के उल्लंधन पर द्वितीय पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा ।

20– द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र मे पर्यटको का पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा जिसे हेंतु द्वितीय पक्ष द्वारा आगन्तुक रजिस्टर के माध्यम से पर्यटको का विवरण रिकार्ड हेतु रखा जायेगा ।

21– पंचाचूली मार्ग मे स्थापित हटो मे जो लिलन, फर्नीचर कटलरी/क्राकरी आदि अन्य सामग्री जो द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध से पूर्व उपलब्ध कराई गयो थी उसी सूची अनुसार सामग्री को सुरक्षित रखा जायेगा जिसी सूची प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा किसी कारणवंश अनुबन्ध समाप्त होने की स्थिति मे हटो एवं सामग्री को भांलि भांति सुरक्षित स्थिति मे द्वितीय पक्ष को वापस किया जाना होगा ।

22– उक्त मार्ग हटो का समय–समय पर निरीक्षण प्रथम पक्ष के द्वारा प्रबन्धक, पर्यटक आवास गृह, धारचूला को प्रतिनिधि के रूप मे नामित किया गया है जो कि संचालन की रिपोर्ट समय–समय पर मुख्यालय को प्रेषित करेगे ।

23– पर्यटको द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर उसका निस्तारण द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा प्रथम पक्ष की जिम्मदारी नही होगी ।

24– यह कि द्वितीय पक्ष दुकान को स्वच्छ रखेगा तथा दारमा धाटी स्थित निगम के बालिंग, पंचाचूली, बेस कैम्प तथा बेदांग में स्थापित हटो के आस–पास किसी प्रकार की गन्दगी या किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नही करेगा ।

25– यह कि द्वितीय पक्ष दारमा धाटी स्थित निगम के बालिंग, पंचाचूली, बेस कैम्प तथा बेदांग में किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों व व्यक्तियों को नही आने देगा और कोई अवैध या असामाजिक कार्यकलाप नही होने देगा ।

Lata Bisht 7/1/2021
[illegible] विकास अधिकारी
कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०
नैनीताल

गणेश सिंह

Anubandh (1)

26– यह कि किसी प्रकार दैवीय आपदा के लिये द्वितीय पक्ष को कोई भी क्षति के लिये प्रथम पक्ष उत्तरदायी नही होगा ।

27– यह कि दारमा धाटी स्थित निगम के बालिंग, पंचाचूली, बेस कैम्प तथा बेदांग में स्थापित हटो के संचालन मे नियोजित कर्मचारियों/श्रमिकों के वेतन/पारश्रमिक आदि उनके द्वारा उनके उत्तराधिकारियों द्वारा किये गये किसी भी दावे के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा । इसमें प्रथम पक्ष का कोई उत्तरदायित्व नही होगा ।

28– द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को पंचाचूली ट्रैकिंग मार्ग के वालिंग पंचाचूली बेस, बेदांग के स्थानों में स्थित हटों में प्रथम पक्ष के पैकेज एवं प्रशासन हेतु आवास की सुविधा को सुरक्षित रखा जायेगा । कभी भी किसी भी तिथि में आवश्यकता होने पर एकल हट अथवा सम्पूर्ण केन्द्र को उपलब्ध कराया जाना होगा जिसका भुगतान प्रतिहट अथवा प्रति बैड के आधार पर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित दर में 50 प्रतिशत रियायतीं दरों पर सुविधा प्रदान की जायेगी ।

29– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त मार्ग के सभी केन्द्रों में आवास प्रति हट अथवा प्रति बैड के आधार पर एवं भोजन हेतु प्रति आईटम अथवा प्रति थाल (वैज /नॉनवैज) के आधार पर दरों का निर्धारण किया जायेग, जिसकी दर सूची प्रथम पक्ष के मुख्यालय एवं धारचूला को उपलब्ध करायी जायेगी ।

30– यह कि सृजित किरायेदारी को प्रथम पक्षों मे से किसी के भी द्वारा एक माह के लिखित पूर्व नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता है ।

31– इस विलेख के निस्पादन एवं पंजीकरण का व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा बहन किया जायेगा ।

32– कि द्वितीय पक्ष द्वारा दुकान को दूसरे को Sublet नही किया जायेगा ।

33– कि इस विलेख मे उल्लिखित किसी शर्त का द्वितीय पक्ष द्वारा उल्लधंन किये जाने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि यह अनुबन्ध को तुरन्त नोटिस द्वारा समाप्त कर दे तथा द्वितीय पक्ष द्वारा जमा जमानत राशि जब्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा । ऐसा किये जाने पर द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति उठाने या दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नही होगा ।

34– कि उपरोक्त शर्तो के होते हुए भी द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को सदैव एक मात्र अध्यासन व स्वामित्व मे स्वीकार करेगा तथा स्वीकार करता रहेगा ।

35– कि इस विलेख की किसी शर्त या इस विलेख द्वारा सृजित किरायेदार के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर विवाद आर्बिटेशन/निर्णायक द्वारा तय किया जायेगा, जिस हेतु प्रथम पक्ष के प्रबन्ध निदेशक, पूर्ण (सोल) आर्बिटेटर होंगे और उनका फैसला दोनों पक्षों के लिए मान्य व अन्तिम होगा । आर्बिटेशन की कार्यवाही के लिये आर्बिटेशन एक्ट लागू होगा ।

गणेश सिंह

Lata Bisht 3/11/2021

विकास अधिकारी

विकास निगम लि०

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	**IN-UK04095203579178S**
Certificate Issued Date	:	23-Dec-2020 02:06 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1290004/ NAINITAL/ UK-NT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK129000411556292283473S
Purchased by	:	K M V N Ltd NAINITAL
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	K M V N Ltd NAINITAL
Second Party	:	GANESH SINGH SON OF ISHWAR SINGH
Stamp Duty Paid By	:	K M V N Ltd NAINITAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

/5/

...क सन्दर्भ से अन्यथा ध्वनित न हो, शब्द "प्रथम पक्ष" के अन्तर्गत प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी एवं "द्वितीय पक्ष" के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के विधिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, निष्पादक व प्रशासक सम्मिलित होंगे ।

Please write or type below this line

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने इस विलेख को हस्तान्तरित किया ।

प्रथम पक्ष के लिये

साक्षीगण

1– Lata Bisht 31/1/2021

2–

द्वितीय पक्ष

साक्षीगण

1– गणेश सिंह

2–

Anubandh (1)

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(संलग्नक-04)

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार महोदय
धारचूला

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 578/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 के अनुपालन के संबंध में,

महोदय
उपरोक्त वर्णित विषयक whatsapp के माध्यम से प्राप्त पत्र संख्या Lto NO. UKPCB/ROH/Writ/22/1072-705 दिनांक 15/10/22 के क्रम में दिनांक 18/10/2022 को उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के नामित सदस्य, प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़, कुमाऊं मंडल विकास निगम के नामित सदस्य एवं मेरे द्वारा राजस्व ग्राम दुग्तू पट्टी दुग्तू तहसील धारचूला स्थित पाँच (05) FRO फाईबर झोपड़ियों की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पूर्व में कार्यालय जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्रांक 1738 सात 87. 2014-15 दिनांक सितम्बर 15, 2015 के द्वारा एफ०आर०पी० हट्स दुग्तू की स्थापना हेतु ग्राम दुग्तू पट्टी दुग्तू के कि० जि० खतौनी खा० सं० 59, श्रेणी-9(3) उ० बंजर काबिल आबाद के खेत नं० 2630 मध्ये 0.100 है० भूमि प्रतिबन्धों के अधीन पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके सापेक्ष संबंधित विभाग द्वारा F.R.P Huts आवंटित भूमि में न बनाकर आवंटित भूमि से लगभग 4 km दूरी पर बनाया गया है, संबंधित विभाग (पर्यटन विभाग) द्वारा पूर्णतः पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया।

अतः महोदय उपरोक्तानुसार जाँच आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

उपजिलाधिकारी महोदय धारचूला को सा. उ०नि.
कृपया जाँच आख्या अग्रसारित।

(signature)
Tah (OCA)
तहसीलदार
धारचूला

(signature) 18/10/22
RSI दुग्तू
धारचूला

नजरी नक्शा ग्राम पंचायत दुग्तू तहसील - धारचूला जिला - पिथौरागढ

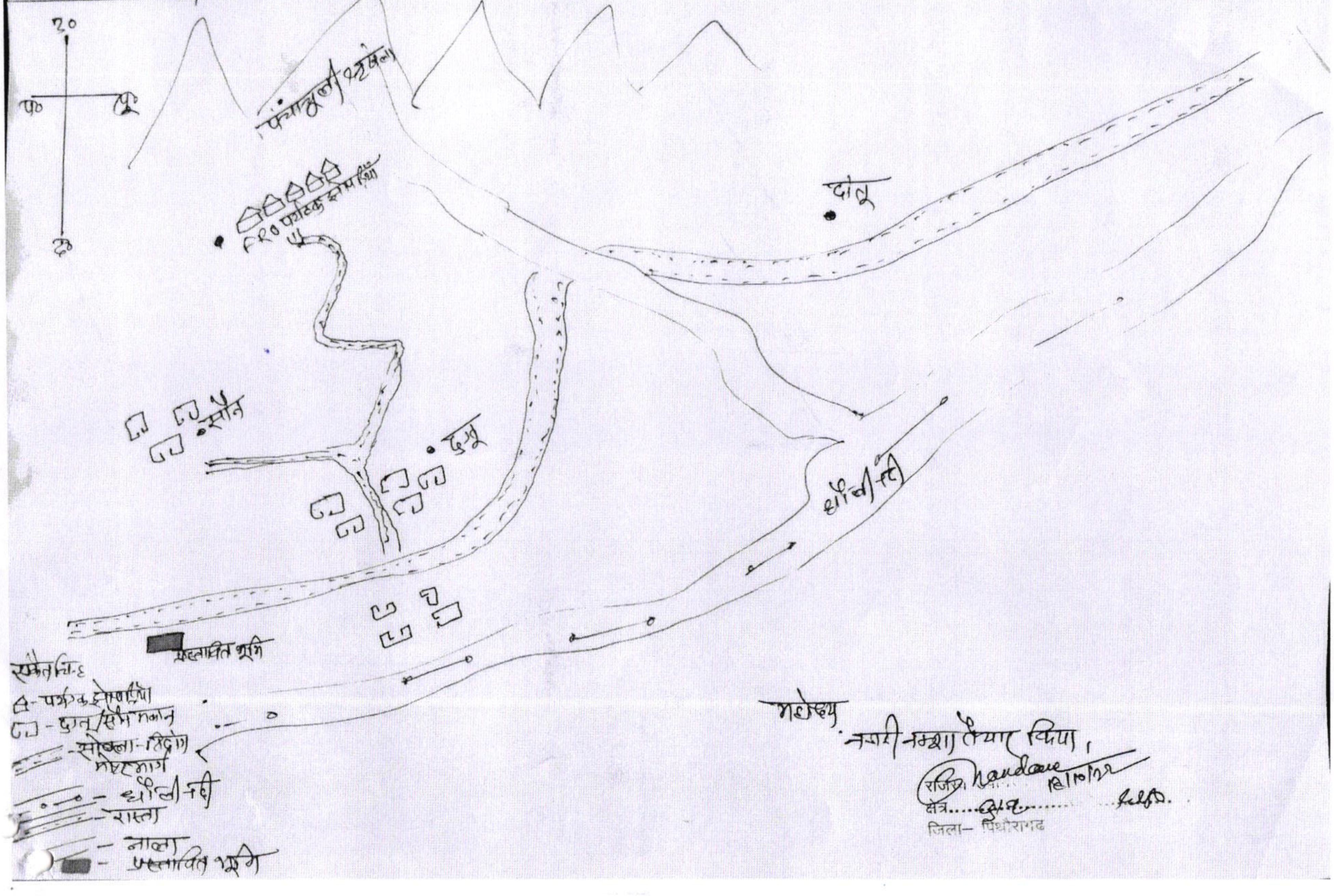

महोदय
नजरी नक्शा तैयार किया,

राजस्व 18/10/22
क्षेत्र ......
जिला– पिथौरागढ

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला।

पत्रांक–ड्राफ/एस0टी0/मा0 राष्ट्रीय हरित/2022 दिनांक–10 नवम्बर, 2022

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 578/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.9.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के आदेश संख्या–91/छब्बीस–वन/2021–22 दिनांक अक्टूबर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 578/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.9.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा नामित संयुक्त कमेटी के सदस्यों से समन्वय स्थापित करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के कम में तहसीलदार धारचूला एवं राजस्व उप निरीक्षक दुग्तू द्वारा अपनी जांच आख्या में अवगत कराया गया है कि कुमांऊ मंडल विकास निगम के नामित सदस्य एवं राजस्व ग्राम दुग्तू, पट्टी दुग्तू, तहसील धारचूला स्थित पांच (05) FRO पर्यटक झोपड़ियों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पूर्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक–1738 सात 87. 2014–15 दिनांक सितम्बर 15, 2015 के द्वारा FRO हट्स दुग्तू की स्थापना हेतु ग्राम दुग्तू पटटी– दुग्तू के गै0ज0वि0 खतौनी खा0स0 59 श्रेणी 9(3) ड बंजर काबिल आबाद के खेत नम्बर 2630 मध्ये 0.100 हे0 भूमि प्रतिबन्धों के अधीन पर्यटन सम्बन्धित विभाग द्वारा FRO हट्स आवंटित भूमि में न बनाकर आवंटित भूमि से लगभग 4 किमी0 दूरी पर बनाया गया है। सम्बन्धित विभाग (पर्यटन विभाग) द्वारा पूर्णतः पट्टे की शर्तो का उल्लंघन किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार जांच आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Binodi 10/11/22
उप जिलाधिकारी,
धारचूला।

(संलग्नक 05)

"उत्तराखंड वन सदैव आपके संग" 31

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी धारचूला

पत्रांक संख्या 415/27 दिनांक 19/05/2020

सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदय
डीडीहाट वन प्रभाग, डीडीहाट।

विषय— **रेंज केश संख्या 01/धारचूला/2019–20 की अंतिम प्रसूचना।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक केश दिनांक 02.06.2019 को वन पंचायत दुग्तू में अज्ञात कारणों से 0.75 है0 क्षेत्रफल में अग्नि दुर्घटना से सम्बन्धित है, अग्नि दुर्घटना के कारण का पता लगाने हेतु वन दरोगा धारचूला अनुभाग से जांच कराई गयी।

जांच टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया तथा कुमांऊ मण्डल विकास निगम के कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों से गहन पूछताछ की। जांच एवं पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि अग्नि दुर्घटना दिनांक 02.06.2019 को घटित हुई। आग किसके द्वारा लगाई गयी इस विषय में कोई कुछ नहीं बता पाया।

आग से लगभग 0.75 है0 क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। जिसमें मुख्य रूप से भोजपत्र, कैल के वृक्ष विद्यमान है तथा इस क्षेत्र में जूनिफर की झाडियां तथा सूखी घास भी विद्यमान है। जूनिफर की झाडियां एवं सूखी घास के कारण ही आग फैली। किसी शिकारी द्वारा अथवा भू माफिया द्वारा शिकार अथवा भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से लगाई गई हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि सम्भवतः आग किसी पर्यटक की लापरवाही के कारण लगी होगी।

अतः उक्त केश में अपराधी का पता न चल पाने की स्थिति में केश को प्रशमित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक– 09

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला

संख्या 415 / 27 दिनांकित।
प्रतिलिपि :– श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ को सूचनार्थ प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला।

पृष्ठ सं०- 01

...ाग ... उत्तराखण्ड वृत्त ... कुमाऊँ ... खण्ड ... पिथौरागढ़ ...

...व अपराध 29/33 D .... प्रसूचना सं० ... 1 ... दिनांक 9/8/2019 रेंज ... धारचूला

1- नाम/पिता का नाम अज्ञात

2- साक्षी का नाम सन्तोष सिंह पतिपाल, आनन्द सिंह

3- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक — आज दि० 9/8/019 को संयुक्त गश्त के दौ... व०पं० दुग्तू मे आग की घटना सज्ञान मे... जिसमे लगभग 0.60 है० क्षेत्रफल प्रभावित ... है, प्रभावित क्षेत्रफल मे मुख्यत: भोजपत्र वृक्ष... जिनमे से कुछ पूर्णतया तथा कुछ आंशिक ... मे जले है।

4- मूल्य

5- चालान एवं अनुसन्धान

6- प्रसूचना के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

रेंज केस नं 01/धारचूला/2019-20

आज दिनांक 9/8/019 को संयुक्त गश्त दौरान व०पं० दुग्तू में आग की घटना सं... मे आयी, जिससे लगभग 0.60 है० क्षे... प्रभावित हुआ है, प्रभावित क्षेत्रफल मुख्यत: भोजपत्र वृक्ष है जिसमे से कु... पूर्णतया तथा कुछ आंशिक रूप मे जल... घटना की सम्भव तिथि जून 2019 है... अत: सूचना महोदय की सेवा मे प्रेषित।

Ramesh
(रमेश सिंह राणा)
वा० र०
सोबला बीट

वन दरोगा धारचूला

घटना की गहनता से जाँच करे, तथा अपराधी का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करे तथा विस्तृत जाँच रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करे

[signature]

व रक्षक

श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला राजि0

विषय– रैंज केश सं0 01/धारचूला/2019–20 के जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेरे द्वारा दिनांक 12/08/2019 को वन रक्षक श्री रमेश राणा व श्री संतोष सिंह पतियाल को साथ लेकर उक्त घटना के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत दुग्तू गांव पहुंचा। मेरे द्वारा भूतपूर्व ग्राम प्रधान, सरपंच वन पंचायत दुग्तू, व ग्रामीणो को साथ लेकर घटना स्थल पर गया। घटना वन पंचायत दुग्तू में घटित हुयी है, घटना बेश कैम्प से 100 मी0 दूरी पर घटित हुयी है, दुग्तू गांव से पंचाचूली बेस कैम्प की दूरी लगभग 2 कि0मी0 है। रैंज कार्यालय से दूरी लगभग 65 कि0मी0 एवं नजदिकी वन चौकी तिजम से 30 कि0मी0 की दूरी पर है। मेरे द्वारा उक्त घटना अन्वेषण के क्रम मे सरपंच वनपंचायत दुग्तू श्री सुरजन सिंह भूतपूर्व ग्राम प्रधान कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के संचालक श्री गणेश सिंह एवं उनके कर्मचारी शंकर राम दुग्ताल के बयान लिये गये जिसमें कुमाऊ मण्डल विकास निगम के हट को संचालन करने वाले गांव वालो श्री गणेश सिंह दुग्ताल द्वारा बताया गया कि यह घटना दिनांक 02/06/2019 की है, मैं अपने निजी कार्य हेतु धारचूला आया था दिनांक 03/06/2019 के शाय 6 बजे करीब पंचाचूली बेस कैम्प धारचूला से पहुंचा मेरे कर्मचारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 02/06/2019 को में व मेरा साथी किचन में खाना बना रहा थे, अचानक जैसे हम बाहर आये हमारे पास के जंगल में धुंआ दिखा हम लोग मौके पर गये और कडी मेहनत उपरान्त आग को बुझाया गया आग बुझाने में पर्यटको द्वारा भी सहयोग किया गया। आग से दूर–दूर स्थित भोजपत्र केल के वृक्ष झुलसे हुये है साथ ही जुनीफर एवं घासपूस भी जले है, यह आग लगभग 0.75 हे0 क्षेत्रफल में लगी है उक्त आग किसी शिकारी अथवा माफिया द्वारा शिकार अथवा भूमि पर अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से नहीं लगाई गयी है। कुमाऊ मण्डल विकास निगम के कर्मचारियों से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि ग्रीष्मकाल में यहां पर 40 से 50 पर्यटक हर रोज पंचाचूली बेस कैम्प में घूमने के लिए आते है किसी पर्यटक द्वारा लापरवाही से बीडी व सिगरेट जलती हुयी फेक देने से यह आग की घटना हुयी, क्योकि माह जून में गर्मी से घास पूस सूख बहुत ज्वलनशील हो जाती है। यह घटना गैर इरादन अज्ञानता वश हुयी है।

महोदय जांच से यह स्पष्ट होता है कि किसी लापरवाह व्यक्ति द्वारा तथा गैरइरादन नासमझी से आग लगी है, आग लगाने वाले व्यक्ति का स्पष्ट मालूम नहीं लग पा रहा है, अतः उक्त केश को अज्ञात मानते हुये परिसिमित करने की कृपा किजिएगा।

संलग्न– बयान।

(संतोष सिंह पतियाल) व0र0 (रमेश सिंह राणा) व0र0

नरेन्द्र राम व0 द0 धा0 रेंज दिनांक 28/09/2019

आज दिनांक 9/08/019 को मैं नरेन्द्र राम वन दरोगा, मय फायर वाचर टीम के साथ वारणा धारी में के ग्राम डुङ्गु की वन पंचायत के नाप में का गस्त के दौरान पंचायती वैन्ध से लगभग 75 मी० की दूरी में आग की घटना ज्ञान में आयी उक्त घटना वन पंचायत डुङ्गु में घटित हुई है आग लगने के कारण लगभग .75 है० क्षेत्रफल प्रभावित हुवा है। इस क्षेत्र में मुख्यतः चीड़ पत्ती के पेड़ हैं। कोलावर के वृक्ष इधर उधर स्थित है। इस क्षेत्र में सूखी घास अधिक होने के कारण आग फैलने की सम्भावना है। आग के कारण कुछ चीड़ पत्ती एवं बेल के साथ भी झुलसे हैं।

घटना स्थल से लगभग 100 मी० की दूरी पर कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के हट निर्मित है। जिसमें आज दिनांक 9/8/019 को 2 कर्मचारी (1) शंकर डुगताल एवं कमल नेपाली उपस्थित थे जिनसे पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुवा कि आग की घटना दिनांक 9/08/019 को लगभग 2 बजे घटित हुई थी जिसे पर्यटकों एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा बुझाया गया। दोनों कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि उन्होंने किसी को आग लगाते हुवे नहीं देखा। आग सम्भवतः किसी लापरवाह पर्यटक द्वारा फेंकी गयी बीड़ी अथवा सिगरेट द्वारा लगी होगी।

(भगतसिंह बिष्ट)
नरेन्द्र राम
व० द०

व.र. व.र. (मनोज कुमार पंत) व.र.

बयान

मैं श्री शंकर राम डुगताल पुत्र श्री विजय राम डुगताल ग्राम दानू उम्र 25 वर्ष पूरे होशो हवाश व बिना दबाव के यह बयान देता हूँ कि दिनांक 2/06/019 को मैं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के कैन्टीन में खाना बना रहा था (वर्तमान में श्री मनोज सिंह डुगताल पुत्र ईश्वर सिंह डुगताल ग्राम दानू वाले के कहने पर मैं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम में कैटरिंग का काम करता हूँ) उस दिन उच्च हिमालय से लगभग 40-50 लोग (बाहरी) पिकनिक हेतु यहाँ आये थे अचानक से हमारे समीप के जंगल में आग लगी उस समय लगभग 2 बज रहे थे मैं और मेरा साथी कमल सिंह कार्की निवासी बेघाल दोनों आग बुझाने हेतु जंगल में गये लगभग 2 से 2.30 घंटे के मेहनत उपरान्त हम लोगों द्वारा आग बुझाई गयी यह से गाँव 3 km की दूरी में है जिस कारण हम लोगों द्वारा ग्रामीणों को सूचित नहीं किया गया यही मेरा बयान है। बयान लिखे हुए मेरे द्वारा पढ़ा गया।

हस्ताक्षर
शंकर राम डुगताल
ग्रा० दानू

बयान मेरे द्वारा
लिया गया

(हस्ताक्षर)
नरेन्द्र वर्मा
वन दरोगा
दानू
दिनांक 12/08/019

बयान मेरे सामने
लिया गया

(हस्ताक्षर)
व. र.

बयान (1)

मैं सूरज सिंह S/O खान सिंह ग्राम डुंडू पो०
डुंडू तह० चकराता देहरादून 63 वर्ष वर्तमान मैं
वन पंचायत डुंडू का सरपंच हूँ। बिना किसी दबाव
डर बिना दबाव के यह बयान करता हूँ कि
दिनांक 21/06/019 को मैं ग्राम पंचायत डुंडू में
नहीं था मैं किसी आवश्यक काम से बाहर
गया था जब मैं गाँव आया तो मुझे ग्रामवासियों
द्वारा बताया गया कि पंचायती वन कैम्प
कम्पार्टमेंट [illegible] विकास निगम के 100 मी० की दूरी
पर आग लगी है। मैं और मेरे वन पंचायत
सदस्यों को लेकर मैं घटना स्थल पर गया
मौका मुआयना किया गया उसके बाद वन विभाग कम्पार्ट
मण्डल के कर्मचारी शंकर राय से पूछताछ
किया गया उनके द्वारा बताया गया कि
यह घटना दिनांक 21/06/019 दोपहर 2 से 2:30 बजे
के बीच का है। इस दिन यहाँ घूमने वाले
काफी पर्यटक पंचायती वन कैम्प हेतु आये थे
गलती वश किसी व्यक्ति द्वारा जलती हुई
बीड़ी सिगरेट फेंक दी हो यह आग लगी होगी
हमारे इर्द गिर्द किसी भी व्यक्ति द्वारा आग लेकर
के प्रयत्न से आग नहीं जलाई गई थी। आग को
हमारे द्वारा कंट्रोल किया गया मेरे द्वारा गुप्त
तरीके से भी पूछताछ किया गया लेकिन
यह आग किसी गाँव वाले द्वारा या अन्य
प्रयोजन शिकार या अतिक्रमण करने हेतु यह
आग नहीं लगाई गई है गलती वश यह
आग लगी है। यही मेरे बयान हैं। इसलिए
हेतु ~~[illegible]~~ वन पंचायत की मीटिंग करा कर
यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी
बाहर के पर्यटक पंचायती वन कैम्प

को घूमने के लिए आते है वह पब्लिक जितने समय पैराग्लाइडिंग लैंड कैम्प मे रहेगा अगर इस समय यदि पैराग्लाइडिंग लैंड कैम्प के आस पास कोई कुछ विपरीत घटना होती है तो व्यापार मण्डल विभाग निगम के कर्मचारी उत्तरदायित्व होगा।

(सुरजन सिंह)
12/8/2019

बयान मेरे सामने लिया गया - [signature]
नाम-देवराम
12-08-19

बयान मेरे द्वारा लिया गया
[signature]
हैड का 0
1039
12/08/019

बयान – श्री गणेश सिंह डुगताल S/o ईश्वर सिंह डुगताल ग्राम डुंगडू हाल निवास तेजम मो0 डुंगडू त0 धारचूला जिला पिथौरागढ़ उम्र 24 वर्ष

प्र0 आप पंचाचूली बेस कैम्प में स्थित कुमाऊं मण्डल विकास निगम के हट का संचालन कब से कर रहे है।

उ0 मैं कुमाऊं मण्डल विकास निगम की पंचाचूली बेस कैम्प की हट का संचालन 27/07/017 से कर रहा हूँ

प्र0- आपके द्वारा हट के संचालन हेतु पंचाचूली बेस कैम्प में कितने कर्मचारियों को रखा गया है।

उ0 मेरे द्वारा कुमाऊं मण्डल विकास निगम के हट संचालन हेतु 3 कर्मचारियों को रखा गया है। जिनके नाम

1- शंकर राम डुगताल ग्राम डुंगडू
2- रविन्द्र डुगताल —"—
3- करन नेपाली

प्र0 दिनांक 2/06/019 को आप कहाँ उपस्थित थे

उ0 दिनांक 2/06/019 को प्रातः 8 बजे मैं और रविन्द्र डुगताल के साथ राशन क्रय हेतु धारचूला बाजार आया था तथा दिनांक 3/06/019 को वापस पंचाचूली बेस कैम्प गया तथा मैं शाम 6.0 बजे पहुंचा

[illegible]

प्र० 1. बेस कैम्प से 75 मी० दूरी पर लगी आग की सूचना आपको कब और कैसे प्राप्त हुई।

उ० जब मैं समय दो बजे लगभग बेस कैम्प पहुँचा तो मेरे कर्मचारी श्री शंकर राम दुग्ताल द्वारा मुझे बताया गया कि दिनांक 2/06/019 को [illegible] में आग लगी थी जिसे मेरे एवं कुछ पनलों द्वारा बुझाया गया

प्र० दिनांक 2/06/019 को आपके कितने कर्मचारी पंचाचूली बेस कैम्प की हद में उपस्थित थे उनके नाम बताइए

उ० दिनांक 2/06/019 को पंचाचूली स्थित (बेस कैम्प) में मेरे दो कर्मचारी उपस्थित थे जिनके नाम क्रमशः ① शंकर राम दुग्ताल [illegible] ② कमल नेपाली

प्र० 1. आग लगने की सूचना आपने वन पंचायत, दुग्तू वन पंचायत समिति दुग्तू को दी अथवा नहीं

उ० दिनांक 2/06/019 को आग लगने की सूचना मेरे द्वारा मौखिक रूप से दुग्तू गाँव के ग्राम वासियों को दी।

प्र० आपने आग लगने की सूचना वन विभाग को क्यों नहीं दी।

उ० मेरे द्वारा वन विभाग को इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मैं नया व्यक्ति होने से ज्ञात नहीं हूँ। भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना घटित होने पर इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी जायेगी।

प्र० - क्या आपने कभी पंचाचूली बेस कैम्प के आस पास किसी संदिग्ध व्यक्ति की उपस्थिति देखी है।

उ० - मैंने आज तक इस क्षेत्र में किसी संदिग्ध व्यक्ति की उपस्थिति नहीं देखी

प्र० - पंचाचूली भ्रमण हेतु प्रतिदिन लगभग कितने पर्यटक आते हैं।

उ० - ग्रीष्म काल में प्रतिदिन लगभग 40 पर्यटक आते हैं जिनमें से अधिकतर पर्यटक उसी दिन घूम दारचूला वापस लौट जाते हैं।

प्र० - क्या आपको इस विषय में जानकारी है कि आग किसके द्वारा लगाई गई होगी

उ० - पंचाचूली एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन चुका है। इसके सड़क मार्ग से जुड़ने के पश्चात प्रतिदिन लगभग 40 से 50 पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाता है। सम्भवतः किसी पर्यटक द्वारा लापरवाही में जलती हुई बीड़ी या सिगरेट फेंकने के कारण आग लगी होगी,

यह बयान मेरे द्वारा (नरेन्द्र राम वन दरोगा धारचूला अनुभाग) लिखा [struck] गये हैं बयान देकर श्री गणेश सिंह दुग्ताल को पढ़कर एक प्रति उन्हें दिये गये हैं।

ह० गवाह

गणेश सिंह दुग्ताल 11/09/019

नरेन्द्र राम व०द० धा० अनु० 11/09/019

Ganesh 11/09/2019

मैं देव राम आ० हाली राम [illegible] ग्राम प्रधान दुग्तू
तह० [illegible] जिला पिथौरागढ़ उम्र 48 वर्ष पूर्ण
होशो हवास में बिना दबाव के यह बयान देता
हूँ कि मैं दिनांक 21/06/019 को दुग्तू गाँव
में था। [illegible] दिनांक को सड़क पर कई पर्यटक
घूमने के मकसद से पंचाचूली बेस कैम्प
को जाते हुये यह मालूम नहीं है कि दिनांक
01/06/019 को पंचाचूली बेस कैम्प के पास
आग लगी है। न ही किसी व्यक्ति को मालूम
था क्योंकि दुग्तू गाँव से जहाँ पर आग लगी
है पता की दूरी 2 से 3 किमी है और यहाँ
से यह स्थान नहीं दिखाई देता है। दिनांक
4/03/019 को जब गोरखा रिट० दुग्तू एवं
[illegible] दुग्तू गाँव में आये तब उनके द्वारा
बताया गया कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
के 100 मी० की दूरी में आग लगी है
और ओमकार राम दुग्तू एवं [illegible] [illegible]
[illegible] नेपाली एवं [illegible] द्वारा आग बुझाई
गयी और द्वारा उनके पूछने पर गुप्त जानकारी
मिली है [illegible] [illegible] की यह आग किसी के
द्वारा न लगाते हुये [illegible] लगाई गई है।
दुग्तू गाँव के किसी व्यक्ति द्वारा आग
नहीं लगाई गयी है। मेरे द्वारा [illegible] [illegible]
पिथौरागढ़(?) [illegible] के कार्यालयों को यह आदेश
दिया गया कि जो भी पर्यटक या घूमने
वाले व्यक्ति गाँव आते हैं उनको आग न
लगाने व जंगली जानवरों को हानि न पहुँचाने
के लिए कहा गया यही मेरा बयान है।

बयान मेरे सामने लिया गया
[illegible]

बयान [illegible]
लिया गया

[illegible]
14/09/019(?)

देव राम
14-03-2019

नजरिया नक्शा

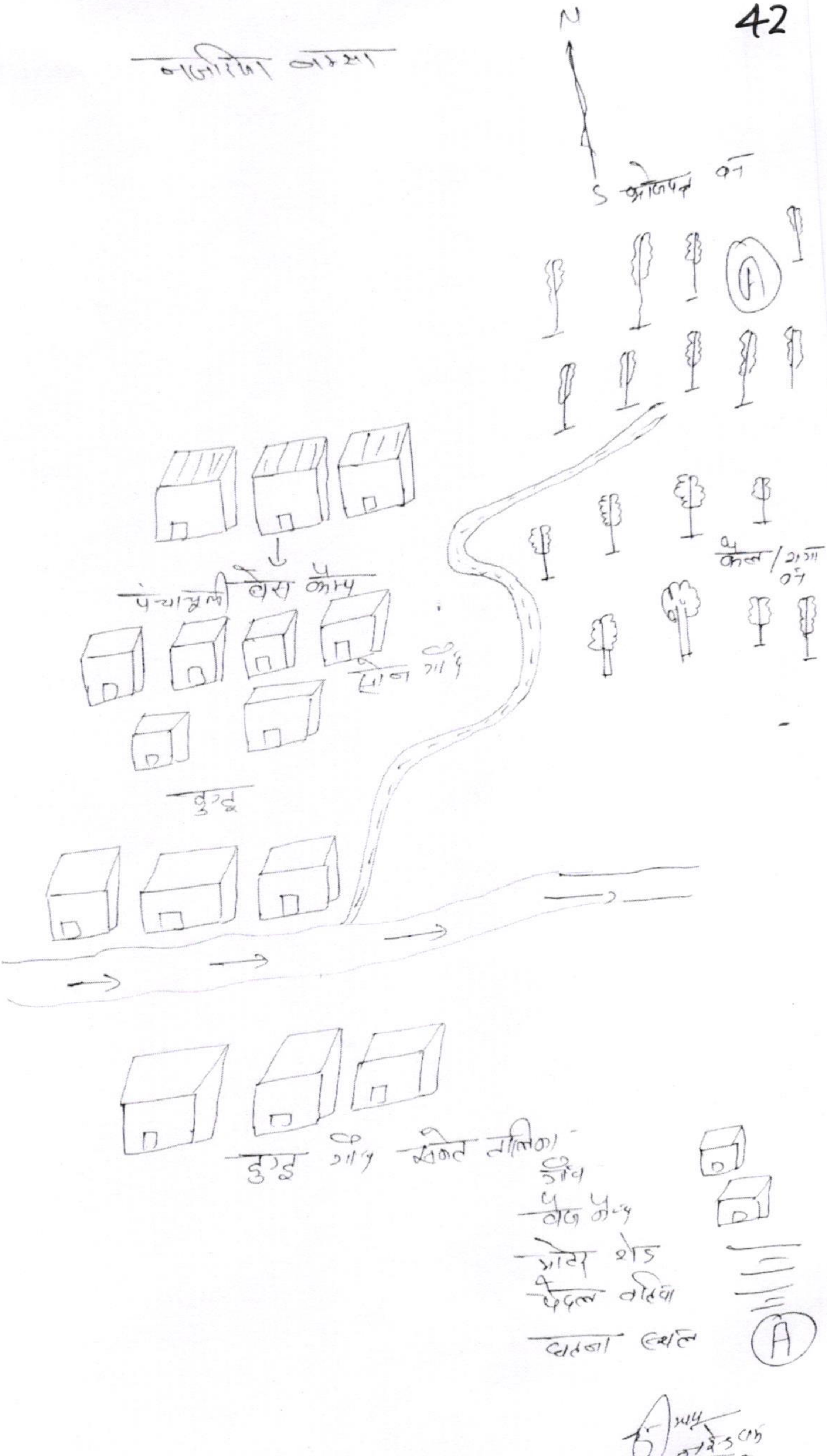

कार्यालय–पंचाचूली बैस कैम्प दुग्तु

पंचाचूली बैस कैम्प में आये पर्यटको का वर्ष वार विवरण निम्न है।

वर्ष 2021 माह अक्टूबर मे पर्यटको की संख्या –**14** (आपदा के कारण 6 दिन की संचालित हो पाया)

वर्ष 2022 माह अप्रैल से माह अक्टूबर 2022 तक **458** पर्यटको ने पचाचूली बैस कैम्प मे कुल सात माह मे **458** पर्यटक आये। उक्त प्रमाणित विजिटर रजिस्टर के अनुसार है।

महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित।

प्रबन्धक
बेस कैंम्प पचाचूली

प्रबन्धक
Manager
प०आ०गृ० धारचूला
T.R.H.
K. M. V. N. Dharchula

P.B.C. 2021
Panchachuli Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arri.Date & Time पहुंचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई-मेल	Age उम्र	Full Address पूरा पता	Phone/ Mobile No फोन/ मोबाइल नं०	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) साथ में यात्री और यात्री से उनका सम्बन्ध M	F	C
1	17/10/21	MAHESH CHANDRA VAN NIGAM TANAKPUR	54	DLM, Van Nigam Tanakpur	9412040879	Adhar	4		
2	14/10/21	Harshil Gupta	30	103, Laxmi [illegible] Lamon Colony, [illegible]	91191 85857	DL	1		
3	17/10/21	JOEL JOSE KARAN NAYYAR SAURAV DIGARI	23	Sector-34 NOIDA	9650 789097		3		
[illegible]	[illegible]	SANJOY ADHIKARI SANJIT [illegible] Kamalesh Jha	47 42 41	[illegible] [illegible] W.B.	94341 07925	AADHAR	3		
5	17/10	[illegible] BATRA	46	[illegible] [illegible] [illegible], WB	98209 78056	[illegible]	2		
6	30/04	Hemray Bhatt		Ghunsera Gaon Pithoragarh UK	~~495353~~ 524 ↓ 8130178709	Aadhar	1		
7	12/05/22	[illegible] आपदा के कारण [illegible] संचालित हुआ							
80		[illegible] (signature)							

P.B.C. 2022
Panchachuli Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arri.Date & Time पहुंचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई-मेल	Age उम्र	Full Address पूरा पता	Phone/ Mobile No फोन/ मोबाइल नं0	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) साथ में यात्री और यात्री के साथ सम्बन्ध M.	F.	C.
1	28 Apr 4:00 PM	Manish S Dhek manishdhek@gmail.com	37	Near S.D.M Court Lohaghat	895898 9338	Driving Licence	3	1	
2	24 Apr 5:30 pm	Prem, Piyush Deepak Jillu Prem93347@gmail.com	29	Naini Tal	8W617 8959	Driving Licence	4		
3	[illegible] 4:0PM	Shubham Gupta	22	didihat	757722 1936	Adhar card	4 5		
4.	30 April 2022	Gautam Singh	39	Pithoragarh	946077 3377	Adhar	5		
5	01/5/22	Keshar Singh Panwar	55	DehraDun	9411728020	Adhar	1		
6	01.05.22	SAGAR VERMA	28	ALMORA	8171700 801	Adhar	5		
7	01.05.22	Pravesh Gupta	31	Delhi	995844 6435	Adhaar	5 + 3		
8	3.5.22	Aman Kumar	28	Pithoragarh	9463884 52	Adhar	8	1	
9	2-5-22	C. A. Bodas.	12	Mumbai Kalyan	9820441133	Adhar	7	5	
10	05/05/22	AMIT KUMAR + DEVRAJ SINGH	35 26	PITHORAGARH	7666630 779 953610 1132	AADHAR	2	-	-
11	06/05/22	Aditya Raj Singh Bist.		Haldwani	9417914 4568.		4		
12	07/05/22	A. B. Kandpal.	57	Pithoragarh	94129 77376		5		

[illegible]

P.B.C. 2022
Panchachuli Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arri. Date & Time पहुंचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई-मेल	Age उम्र	Full Address पूरा पता	Phone/ Mobile No फोन/ मोबाइल नं0	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) साथ में यात्री और यात्री के साथ सम्बन्ध M	F	C
13	07/05/22	Beena Rawat	37	G.G.T.C. Thal	976020 6981	PAN	02	05	
14	07/5/22	Renu Sharma	32	Vijaynagar Bangalore	455533 6867	Adhar	— /	—	
15	9/5/22	Saurabh Joshi	26	Lohariyasal Talla, HALDWANI	94068 16268	Passport	03		
16.	9/05/22	Rakesh D	55	122/1 Shastri Nagar Dehradun	7974 250 256	FD	2	M	
17.	10/05/22	Kishor Ranjan	22	Saraswati nivash Maggi Point. Bidholi, Dehradun	914077 4238	Adhar	8	M	
18	12/05/22	Utsav V. Sriram	35	HG Ishwari layout, Bangalore 9036121216	90365 21216	Adhar	5		
19	12/05/22	Abhishek Chhimwal	26	Vill Pazina PO Mangdoli Almora UK (263...)	97736 20485	Aadhar	4	M	
20	12/5/22	V S RAGHAVAN	55	H NO - 868, SECTOR - 11, VASUNDHARA GHAZIABAD	98133 25039	ADHAR	1	F	
21	14-5-22	Krishna Bhandari		Pithoragarh — " — — " — U.K	8755725 10	Adhar	4		
22	14-5-22	Manoj Singh Bisht		Nirala Pithoragarh	99972 78401	Aadhar	2		
23	14-5-22	ARUNAVA GANGULY	57	33/A R.B. St Konnagar Hooghly W B	963298 0405	Adhar	6	—	—
24	16/5/22	Jeet Limbu		Dharchula	9410 550992	Adhar	4 3		

हस्ताक्षर आगंतुक

P.B.C. 2022
Panchachuli Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arri.Date & Time पहुंचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई मेल	Age उम्र	Full Address पूरा पता	Phone/Mobile No. फोन/मोबाइल नं.	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) साथ में जाने वाले लोग और उनके साथ सम्बन्ध M	F	C
25	11/05/22	Mayank Bisht + 4	24	Haldwani	971071[illegible] 110	Adhar	02	03	
26	14/05/22	Siladitya Samanta + 11	42	7/7 Thakur Ramkrishna lane Howrah - 711104	98305 79960 933012 6866	Adhar	4	4	4
27	16/05/22	Arindam Chel + 3	42	28 Panchanan Tala lane Kolkata - 700034	99039 55236	Adhar	2	1	1
28	17/05/22	Somesh Kumar +3	38	Bank of Baroda Shahjahanpur	84700 92[illegible]	Adhar	3	–	–
29	18/05/22	ISHA HYANKI +1 #NO PLAN DISTRICT_	32	Haldwani UK	9879370 383	Adhar	~~[illegible]~~ Siblings		
30	19/05/22	Mayank Kumar		Pan Oasis K-703, Noida, UP	991192 8319	Aadhar			
31	1[illegible]/05/22	Ujjwal Adhikary Sonali Adhikary +1	55	Chandannagar WB	[illegible]	Adhar	1	1	1
32.	19/5/22	Dharmendra Singh +7		Dehradun 7895100153	=	Adhar	1	1	1
33	22/5/22	Jethalal [illegible] +3	48	A-703, Orchid Upper West Pune-411014	98[illegible]10 3290 [illegible]1	Adhar	2	2	–
34	24/5/22	Pradipta Chakraborty	55	8, Kailash Bose Street Kol-6	94338 65962	Adhar	2	1	
35		Vaibhav Yadav +3		Delhi	95505 41111	Adhar	5	3	
	25/05/22	Kamlesh Tiwari	55	[illegible] [illegible] 7983060483		Adhar	3	2	

[illegible]

P.B.C. Panchachuli Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arri.Date & Time पहुँचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई-मेल	Age उम्र	Full Address पूरा पता	Phone/ Mobile No. फोन/ मोबाइल नं0	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) साथ में पत्नी और यात्री के साथ सम्बन्ध M	F	C
32	27/05/22	Dr Ashish Anurgi +3	55	38-B Shanno Bharan. Pilibhit	962807 1605	Adhar	03		
33	27/05/22	AKASH + 3	21	Nainital, Jaolikot	7078560 516	Adhar	2	2	
34	28/5/22	Amal Kreslor +6	42	Budaun to	975500 2138	Adhar	6		
35	29/5/22	Zuhaib Shahroz + 1	26	Bahraich, UP	7275 753926	Aadhar	1		
36	30/05/22	SUBIMAL DUTTA	45	vill: Maliari po: Banpur PS. Krishnaganj Nadia. 741503	7003023 764	D.L	3	3	1
37	31/5/22	GARIMA CHAUHAN	34	Brindl Road, Whitefield, Bangalore	89512 57275	Adhar	1	2	
38	31/5/22	Sandeep Jain		Mussoorie	98704 28533	A	1		
39	01/06/22	ARDHENDU LAHIRI SUDIPTA CHATTERJEE	61	K.S Road, Depopara Asansol West Bengal	596759-2555	Voter ID	02	-	-
40	01/06/22	Divyanshu Jagati Yash Bhatt	24	Gangola Mohalla Almora UK	741702 1998	Aadhar	02	-	-
41	01/06/22	Girish Joshi +2	48	B-70, West Vinod Nagar, Delhi-92	9871 698629	Aadhar	03	-	-
42	03/06/22	SANDEEP GARG	28	Safidon, Jind HR-126112	98100 92670	Adhar	2		
43	3/06/22	Rahul S. Kshatriya +2	48	433 Vijay Park Opp Maninagar Maninagar (E) Ahmedabad	98250-96795	Adhar	2		

P.B.C.
Panchachuli Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arri. Date & Time पहुंचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई-मेल	Age उम्र	Full Address पूरा पता	Phone/ Mobile No. फोन/ मोबाइल नं0	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) साथ में यात्री और यात्री के साथ सम्बन्ध M	F	C
44	4-06-22	BALWANT SINGH	34	Didihat	9450780701		M 3		
45	4/6/22	Rajesh Sah + Tara Sah	68	Dalhome Cottage Malli Tal Naini Tal	9456554695	Aadhar	2	2	
46	5/6/22	Silka Singh	28	Dharn Naula Almora	9421678332	Aadhar Card	2	1	
47	5/6/22	DIVYA KHATTRI (HIMALAYAN HOSP)	30	MEGHNA COMPLEX SIMALGAIR, PITHORAGARH	753583C042	ADHAR	5	2	
48	6/6/22	Gokul Singh Kathayat	39	Naini saini Pithoragarh	9411545858	Indi	2	2	
49		LALIT KUMAR	40	Pandey Bhawan Naukuchiyatal	8755574282	Indi	4	3	0
50	9/6/22	Jitendra Hanesi	38	Bungachhina Pithoragarh	9458957947	Ind	4		
51	10/6/22	Arun Chand	28	Champawat	8610028605	Aadhar	2	10	
52	11/6/22	N.S. TOLIA	53	Didihat	9411093258	DL	6	3	
53	11/6/22	Neeraj Khati	28	Haldwani	735455829	DL	1	.	
54	11/6/22	Lalit Tiwari	39	Nainital	9819499973	Aadhar	2	1	1
55	12/6/22	Prakash Mohar	26	Champawat	305713538 7	I D	4		

सत्यापित उमेश सिंह

UK

P.B.C.
Panchachuli Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arri. Date & Time पहुंचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई-मेल	Age आयु	Full Address पूरा पता	Phone/ Mobile No. फोन/ मोबाइल नं०	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) साथ में यात्री और यात्री के साथ सम्बन्ध M	F	C
56	12/06/22	Vikram Singh		Kathayatbara Bageshwar	753591 3799	.	2		
57	13/06/22	K. Husen		[illegible] Almora Kathduary?	851027 424		3		
58	12/06/22	Rinka?		Munsiyari	98845 69062		1	2	.
54	12/6/2022	Shailendra Kr. Sah		LIC Didihat	9412[illegible]63		3		
60	13/6/2022	Deepak Joshi		Haldwani, Jayanti Puram.	8505909 206		3		
61	13 Jun 22	GROUP CAPTAIN NA ALEXANDER		IGRUA	85770 24930		4	1	
62	15 Jun 22	Neelmet Joshi?	42	Dharchula	9560 554460		2	2	3
63	14 Jun 22	DHEERAJ KUMAR	29	Jauljibi Pithoragarh	9955 [illegible]48		2	4	
64	16 June 22	Mukul Chand +3	25	Haldwani	9752120 80		4		
65	16 Jun 22	Anil Pandey +1	30	Dharchula.	9410 555 206		2		
66	7/6	Rohit +3	38	Dharchula	7953 100 693			3	
67	17/6	Jagdish Singh Martolia	64	Munsiyari	983?? 45553		3		

[illegible] सिंह

P.B.C.
Panchachuli Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arri. Date & Time पहुँचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई-मेल	Age आयु	Full Address पूरा पता	Phone/ Mobile No फोन/ मोबाइल नं०	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) साथ में जाने और यात्री के साथ सम्बन्ध M	F	C
68	18/6	D B Bansal, SBI 1214B, Mahanagar Lucknow		SBI 1214 B Mahanagar Lucknow	70072 94794	Adhar	3	2	
69	17/6	KISHAN CHAND		THALKOT, (P.TH)	95711 93476	ADHAR	5		
70	18/6	PRATUL JAIN	34	BARMER (RAJ)	94620 75161	ADHAR	2	2	2
71	20/6	Mohit Tomar	27	Pithoragarh Aincholi	7078 3333 74	ADHAR	1	1	
72	22/6	Shubhendra Sah	30	Bazar Chowk Bazar Pithoragarh	97201 516-	AADHAR	3	2	
73	22/06	Bhawesh Pandey	31	Ar Mohalla Thikar Almora	8622655305	ADHAR	2	2	
74	22/06	Amit Bisht	30	46/1 Kareer Nagar (Dehradun)	81300-16347	ADHAR	2	1	
75	23/06	Prashant Bisht	29	885, Sector 14 Pkt-1, Dwarka New Delhi 78	9917 880457	Driver licence DL09 2019 4571	6		
76	23/6	Dinesh Chand Oli	43	Nichil Pains Khatima Uttarakhand	941 241 0379		4		
77	24/6	Rajat Pratik Sonam Priya	30 27	SBI Dharchula	9711 288144	Aadhar	2		
78	25	Raghvendra Singh Pasila	26	Block Haldwani	9780 507077	Aadhar	1		
79	26	Jaswant Kumar	26	Ranikhet Almora Uttarakhand	9877 9323 59	Aadhar	2	2	

उप निरीक्षक — थाना धारचूला

P.B.C.
Panchachull Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arri. Date & Time पहुंचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई-मेल	Age उम्र	Full Address पूरा पता	Phone/ Mobile No. फोन/ मोबाइल नं0	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) साथ में यात्री और यात्री के साथ सम्बन्ध M	F	C
80	27/06 9:15AM	JAYANTA BIKASH KARMAKAR	62	37/A. Diamond Park, Joka Kolkata – 104	9102000554.	Aadhar	5	1.	
81	27/06/22	Naval Danu	26	Vill-Waccharm P o - Khati Bageshwar	9456167931	Adhar	1	1	
(82)	27/6/22	Mayank Srivastava	35	C2-1103, Sector 134, Noida	7507789851	Aadhar	–	1	.
83	24/7/22	Nitin Bisht	35	Pithoragarh	8095198889	〃	6		
(84)	29/7/22	NEERAJ SAMANT Rahul Sharma	29	Delhi	8802423757	Aadhar	2		

[illegible] [illegible]

P.B.C. WINTER SEASON SEPTEMBER 2022
Panchachuli Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arri. Date & Time पहुंचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई-मेल	Age आयु	Full Address पूरा पता	Phone/ Mobile No फोन/ मोबाइल नं0	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) साथ में कौन और यात्री के साथ संबंध M	F	
85	8-9.22	Deepak Josh	48	C-3, Vasant vihar colony Kuthha.., Hal..	9412927591		6	6	
86	09-09 2022	CELLO MARCELLO	48	VIA LOMBARDI 10 RESCALDINA (MI) ITALY	0039 340 3468532				
87	11-09 2022	Amit Kumar	36	A-69 Tughlakabad New Delhi-44	9999 494440		1		
88		Devesh Singh	30	vill Paighenk Post Ri.. Dhamura Rai..	8218 1462 91		2		
89	10/09/22	DIVYANSHU RAUTELA		Bhowali, Distt- Nainital, Uttrakhand	99175 79746		4		
90	18/09/22	SHIVA NAGA SANTOSH	36	H.No 2-5-81/3 Chand.. mel Attapur- HYD 500048	9908 222150		1		
91	19/09/22	Puran Bisht Hema Bisht	59	Puran Bisht Regional ... comp Mallital Nainital	997777 2322		1	1	
92	19/09/22	Pankaj Johari	32	Vasant Kunj New Delhi	7906774310		1		
93	21/09/2022	AMAR BISWAS	68	W. Bengal	9830619699		2	3	
94	22/09/2022	Anil Kumar	32	CHt Police Line R 62	9140186424		4		
95	28.9.22	Reena Kohli	56	204, Ram Vihar Delhi	9650 9460 68			1	
96	29.9.22	Saumitra Ganguly	58	42 Bireswar Ganguli St. Bally. Howrah	91 824050 3932		2		

[illegible] [illegible]

P.B.C.
Panchachuli Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arri. Date & Time पहुँचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई-मेल	Age उम्र	Full Address पूरा पता	Phone/ Mobile No. फोन/ मोबाइल नं0	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) साथ में यात्री और यात्री के साथ सम्बन्ध M	F	C
97	2/10/22	SAROJ KR SAHA	70	AH-8 Sec 2 Salt Lake, Kolkata - 91	9830287806		1	1	
98	03/10/2022	NICHOLAS KHYRIEM ANJALI T LYNDOH	58 62	RYNJAH RNGI SHILLONG-793006 MEGHALAYA	9402150495		1	1	
99	3/10/22	SANTANU DAS CHARMA	42	294/1, BRAHMAPUR SARDARPARA KOLKATA 700096	947750 6843				
100	4/10/22	URMILA RANKA Very Good Service	57	59/2 chitrakoot Jaipur	96020 45222		1	1	
101	4/10/22	Hemant K Shah	39	Raiestate Ranikhet	886 009 1212		4	-	-
102	4/10/22	Aparna Chatterjee Chatterjee	47	444 J. L. Sarani Joka Kol- 700104	98747 23239		4	6	
103	5/10/22	S N Palit	54	34A Jagat Roy Chowdhury Row. Kolkata- 700008	93300 17398 / 9123810 750		2	1	
104	13/10/22	P.K BARAT.	57	15/8. AUBEY LANE SERAMPORE Hooghly 712201.	9748446 1965		12		
105	13/10/22	Ankit Shukla	32	Purre Rajshree Shukla Shukul Bazar Amethi	7597658 0877		2	1	
106	13/10/22	Dhritiman Chatterjee	37	Vill+P.O- Purkhan Dist- Hooghly WB, 712408	9145 124720		5	-	
107	14/10/22	Mohit Gupta	50	Alpine Adventure Nanda Devi Almora	94120 44519		15		
108	16/10/22	SOUMYO SINHA	32	OXYTOWN KOLKATA-61	98831 49798		1	1	

सायं ... जोगेश सिंह

P.B.C.
Panchachuli Base Camp Dugtu
VISITOR'S REGISTER

CHECKING OUT TIME 12:00 NOON

S.No. क्रम संख्या	Arr. Date & Time पहुँचने की तारीख व समय	Name of Visitor in Block Letters E-mail ID यात्री का नाम ई-मेल	Age उम्र	Full Address पूरा पता	Phone/ Mobile No फोन/ मोबाइल नं0	Identification पहचान पत्र	Accompanied by (with relation) M	F	C
109	16.10.22 11.30 am	SUBRATA NATH	46	Ghoshpara, Howrah, W.B - 711227	9817219140	Aadhar? [illegible]	4	1	1
110	16.10.22 2 am	UTTAM SAMADDAR and 8 others	65	1801 East Arcade Bengal Ambuja City Centre Durgapur, WB	7029073904		5	X	
111	16.10.22	Chandu Bhatt Almora	35	Almora	8010174071		9		
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									

प्रमाणित [illegible]

ANNEXURE-2

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड) E-Mail:- msukpcb@yahoo.com

पत्रांकःयूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0- 183-620/2022/1339, दिनांक 21.11.2022

पंजीकृत डाक द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर/सर्वोच्च प्राथमिकता

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि0,
ओक पार्क हाउस,
मल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विषयः- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 578/2022 राम सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0 578/2022 राम सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में गठित संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संयुक्त कमेटी की संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करें अथवा आख्या/संस्तुतियों के क्रम में अपना प्रत्युत्तर मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट।

भवदीय

(एस0 पी0 सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 के अनुपालन में संयुक्त कमेटी की आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संयुक्त कमेटी की संस्तुतियों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करने का कष्ट करें।

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन विभाग उत्तराखण्ड, 85, राजपुर रोड़, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

सदस्य सचिव

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
''गौरा देवी पर्यावरण भवन''
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड) E-Mail:- msukpcb@yahoo.com

पत्रांकःयूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0- 183-620/2022/1532, दिनांक 22.12.2022

पंजीकृत डाक द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर/सर्वोच्च प्रायमिकता

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
कुमाऊ मण्डल विकास निगम लि0,
ओक पार्क हाउस,
मल्लीताल, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विषयः- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 578/2022 राम सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशों के अनुपालन के सन्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0 578/2022 राम सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र सं0 यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0-183-620/2022/1339 दिनांक 21.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संयुक्त कमेटी की जांच आख्या संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रेषित संयुक्त निरीक्षण आख्या के संलग्नक-02 में त्रुटिवश ग्राम दुग्तू, पट्टी दुग्तू के स्थान पर ग्राम खिमलिंग, पट्टी दुग्तू का आदेश संलग्न किया गया है। संलग्नक-02 में ग्राम खिमलिंग के स्थान पर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा ग्राम दुग्तू को निर्गत आदेश सं0 1739/सात-86/2014-15 दिनांक 15.09.2015 को संलग्नक करते हुए संयुक्त कमेटी की निरीक्षण आख्या पुनः इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 एवं 21.11.2022 के क्रम में संयुक्त कमेटी की संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपना प्रत्युत्तर मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट (संशोधित संलग्नक-02 के साथ)।

भवदीय

(एस0 के0 पटनायक)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 एवं 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त कमेटी की आख्या (संशोधित संलग्नक-02 के साथ) इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संयुक्त कमेटी की संस्तुतियों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करने का कष्ट करें।

1. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन विभाग उत्तराखण्ड, 85, राजपुर रोड़, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

सदस्य सचिव